



No.1/8/NCSC/2011-Admn.
National Commission for Scheduled Castes
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

5th Floor, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi.

Dated:24th October, 2011

VACANCY CIRCULAR

Subject: Filling up the post of one Assistant Library and Information Officer in the National Commission for Scheduled Castes by deputation (Including short-term contract)

It is proposed to fill up of one Assistant Library and Information Officer (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial) in the scale of Pay Band- 3 of Rs. 15600-39100+ GP Rs 5400/- in the National Commission for Scheduled Castes by deputation (Including short-terms contract) initially for a period of one year likely to continue up to three years. The eligibility conditions for selection by deputation (Including short-term contract) for the said post are given below:-

- (a) Officers under the Central or State Governments or Union Territory Administration or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations:
- (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the pay scale of Rs.9300-34800 with the Grade Pay of Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or
 - (iii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the pay scale of Rs.9300-34800 with the Grade Pay of Rs.4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) Possessing the following minimum educational qualification and experience:

Essential:

- (i) Master's Degree in Library Science or Information Science or Documentation Science from a recognized University or Institute and
- (ii) Three years professional experience in a Public or Institutional Library:

Note 1 Qualification is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

DUTIES TO BE PERFORMED

Asstt. Librarian & Information Officer in the NCSC shall perform the following duties:

1. Provide professional services utilizing conventional and electronic data base resources to in-house readers as and when required.
2. Remain current in his/her respective fields.
3. Maintain safety standards in his/her work areas; ensure that readers are not indulged in any practice which is detrimental to the interest of Library in particular and office in general.
4. Comply with published Policies and Procedures of the National Commission for Scheduled Castes. Documents of exclusive natures are not to be made available for general readers. Documents marked with 'Official Use' are not to be issued for taking outside the Library premises.
5. Maintaining reports of other Ministries/Departments/Autonomous Institutions/Research Bodies.
Issue newspapers, magazines to the senior officers, as per entitlement in the NCSC and maintain records thereon.
6. Assist in the operation by performing special assignments such as organizing, cataloguing the collection, researching in automation or vendor options and studying the effectiveness of operations.
7. Provide reference services.
8. General up-keep of the Library shall be maintained.
9. Any other duties assigned by the competent authority.

OTHER SERVICE CONDITIONS

- (I) The pay of the selected candidate will be regulated in terms of deputation of Department of Personal & Training OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17.6.2010 and subsequent amendment, if issued from time to time
- (II) Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
- (III) For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission's recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade Pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

HOW TO APPLY

Interested candidates may apply through proper channel to the Deputy Secretary, (Admn), National Commission for Scheduled Castes, 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi- 110003 within 60 days from the publication of this advertisement in the Employment News as per proforma annexed at Annexure I & II.


(M.R. Bali)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-2460 1213

Dated : 24th October, 2011

Copy to:

1. All Ministries/ Departments of Government of India (as per standard list).
2. State Governments/ Universities/ Government Recognized Educational Institutes/ Public Sector Undertakings / Semi-Government Statutory /Autonomous Organizations
3. NIC for uploading of the Vacancy Circular in the Commission's Website.
4. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi for kind information.

- | Office/Institution | Post held with scale of pay | Period of Service | Basic Pay | Nature of appointment whether regular/ad-hoc/deputation | Duties |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | |

- Date.....

Signature of the applicant
Address.....

**CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYERS/HEAD OF
OFFICE/FORWARDING AUTHORITY**

Certified that the particulars furnished by Shri/Smt./Kum.....are correct and he/she possess educational qualifications and experience mentioned in the vacancy circular.

Also certified that:

- I) There is no vigilance case pending/contemplated against him/her.
- II) His/her complete CR Dossier/ACRs for the last 5 years duly attested on each page by an officer of the rank of an Under Secretary to the Govt. of India are enclosed:
- III) His/her integrity is beyond doubt.
- IV) No major/minor penalties have been imposed on him/her during the last 10 years.
- V) List of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed.

Signature.....
Name & Designation.....
Office Seal.....

Date:



सं० 1/8/एनसीएससी/2011-प्रशासन

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय)

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 24.10.2011

रिक्ति परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा भरा जाना ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 15600-3900 रुपए + ग्रेड पे 5400/- रुपए के वेतनमान में एक सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, गैर-अनुसूचित) के पद को प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए जिसे तीन वर्षों के लिए जारी रखा जा सकता है, भरे जाने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त पद हेतु प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा चयन के लिए अर्हता शर्तें निम्नवत् हैं:-

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी:

- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; अथवा
- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड 2 में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए या समकक्ष वेतनमान वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा; या
- (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन बैंड 2 में 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए या समकक्ष वेतनमान वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव होना चाहिए:

अनिवार्य

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा सूचना विज्ञान या प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री और
- (ii) किसी पब्लिक अथवा इंस्टीट्यूशनल पुस्तकालय में तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव:

टिप्पणी 1 सुयोग्य अभ्यर्थियों के अलावा अभ्यर्थियों के मामले में लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शैक्षिक योग्यता में छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी 2 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए अनुभव में छूट दी जा सकती है ।

निष्पादित किए जाने वाले कार्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे:


1. जब भी आवश्यक हो, आयोग के पाठकों के लिए परम्परागत तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस संसाधनों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना ।
2. अपने संबंधित क्षेत्र में सक्रिय बने रहेंगे ।
3. अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का रखरखाव: यह सुनिश्चित किया जाना कि पाठक किसी ऐसे कार्य में लिप्त न हों जो विशेष रूप से पुस्तकालय और सामान्य रूप से कार्यालय के लिए अहितकर हो ।
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रकाशित नीतियों और कार्यविधि का अनुपालन करना । सामान्य पाठकों को विशेष प्रकृति के प्रलेखनों को उपलब्ध नहीं करवाना । जिन प्रलेखनों पर "कार्यालय प्रयोग" लिखा गया है उन्हें पुस्तकालय प्रांगण से बाहर ले जाने के लिए जारी नहीं किया जाना ।
5. अन्य मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/अनुसंधान निकायों की रिपोर्टों का रख-रखाव करना । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की उनकी पात्रता के अनुसार समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं को जारी करना एवं उनका रिकार्ड रखना ।
6. विशेष कार्यों जैसे आयोजनों, कैटलॉग के संकलन, ऑटोमेशन में अनुसंधान या वेंडर आप्रॉस और परिचालन के प्रभावीकरण के अध्ययन में सहायता देना ।
7. संदर्भ सेवाएं उपलब्ध कराना ।
8. पुस्तकालय का सामान्य अनुस्क्षण बनाए रखना होगा ।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य ।

अन्य सेवा शर्तें

- I. प्रतिनियुक्ति पर चुने गए अभ्यर्थी का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17-06-2010 तथा समय-समय पर बाद के यथा संशोधनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
- II. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- III. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से 1 जनवरी, 2006 या तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा की गई सेवा को, सिवाए जहां एक संशोधनपूर्व वेतनमान से अधिक का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलयन हो तथा जहां इसका लाभ ऐसे पद(पदों) के लिए दिया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनुसूची ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी ।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक अभ्यर्थी रोज़गार समाचार/इम्पलाईमेंट न्यूज में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुबंध-I एवं II में प्रपत्र के अनुसार आवेदन उप सचिव(प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पांचवां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003 को उचित माध्यम से भेज सकते हैं।



(मंगत राम बाली)

भारत सरकार के उप सचिव

दूरभाष: 011-2460 1213

दिनांक: 24-10-2011

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध-सरकारी सांविधिक/स्वायत्तशासी संगठन।
3. एनआईसी को आयोग की वेबसाइट पर इस रिक्ति परिपत्र को अपलोड करने के लिए।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए आवेदन का प्रपत्र

1. नाम और पता (मोटे अक्षरों में)
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)
3. उम्मीदवार के संबंध में लागू नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीख
4. उम्मीदवार द्वारा धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं (पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं से संबद्ध)
5. क्या आप नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। हां/नहीं
6. क्या आपके पास मूल संवर्ग या विभाग में 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300-34,800 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्ष; या मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड 2 में ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये सहित 9,300-34,800 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 3 वर्ष का अनुभव है।
ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में 2 वर्ष का अनुभव हां/नहीं
ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये में 3 वर्ष का अनुभव हां/नहीं
(कृपया जो लागू है उस पर सही का निशान लगाएं)
7. कृपया सुस्पष्ट करें कि आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों को देखते हुए क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। हां/नहीं
8. सेवा का ब्योरा (यदि स्थान का अभाव हो तो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् प्रमाणित अलग से शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	वेतनमान सहित धारित पद	सेवा अवधि	मूल वेतन	नियुक्ति की प्रकृति क्या नियमित/तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति पर है	कार्य

9. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् नियमित/तदर्थ/अस्थायी/स्थायी
10. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारित है तो कृपया बताएं।
क) आरम्भिक नियुक्ति की तारीख
ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं।
11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्योरा। कृपया बताएं कि निम्नलिखित में आप किसके अधीन हैं-
क) केन्द्रीय सरकार, ख) राज्य सरकार, ग) विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, घ) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ङ) सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठन, च) कोई अन्य सरकारी संगठन (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)।
12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तारीख दें और संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं।
13. इस समय मूल वेतन और प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां।
14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। यदि स्थान का अभाव हो तो एक अलग से शीट संलग्न करें।
15. क्या आप अजा/अजजा के हैं।
16. अभ्युक्ति

तारीख _____

आवेदक के हस्ताक्षर

पता:

नियोक्ता/कार्यालयाध्यक्ष/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं और उसके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

- I. संवर्ग निकासी या संयुक्त संवर्ग निकासी, जैसी स्थिति हो, संबंधी प्रमाण-पत्र/विवरण/सतर्कता निकासी/सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र/पिछले 10 वर्षों के लिए शास्ति (भारी या लघु दोनों, यदि कोई हो) से संबंधित विवरण ।
- II. पिछले 5 वर्षों का पूर्ण सी.आर. डोसियर/ए.सी.आर. जिसका प्रत्येक पृष्ठ भारत सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हो ।
- III) उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।
- IV) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई भारी/लघु शास्ति नहीं लगाई गई है ।
- V पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई भारी/लघु शास्तियों की सूची संलग्न है ।

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
कार्यालय मुहर

दिनांक